जगदीश सिंह पुत्र हरनेक सिंह

बनाम

सि. 29/2018

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/8/19 पत्रावली पेश हुई। आज 10 मोहर्रम अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली कार्यवाही दिनांक 20/8/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/8/19 पत्रावली पेश हुई। जन्माष्टमी अवकाश घोषित होने पर पत्रावली कार्यवाही दिनांक 3/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3/9/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व गवाहान उपस्थित। वसीयत में दर्ज गवाहान की सोमाराम पुत्र दुलचन्द जाति अरोडा निवासी करनपुर और रामपुरी पुत्र गुरदासमल जाति ब्राह्मण निवासी करनपुर ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये, जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णय हेतु कार्यवाही दिनांक 13/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 3.9.19	
13/9/19 पत्रावली निर्णय वास्ते पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन व मनन किया गया। वसीयत के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कागजी चक 19 ओ के मुरब्बा 37 किला नं. 1 ता 25/6.199 = 6.199 हैक्टेयर जोत खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा सुरजीत सिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख सा० देह खातेदार दर्ज है।	

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत रकबा खातेदारी व स्व: अर्जित है। प्रश्नगत रकबा पर कब्जा काश्त जगदीश सिंह पुत्र दर्शन सिंह का है। प्रश्नगत रकबे पर रहन/बैय नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/आवंटित है। वसीयत के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय खबर दिनांक 25/3/2018 में पृष्ठ संख्या 4 में प्रकाशित करवाने के बाद आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। गवाहान के बयानात अनुसार वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पत्ते के, बिना किसी दबाव/उत्पीडन के, स्वतंत्र और स्वइच्छित मन से वसीयत करवाना बताते हैं। कब्जा काश्त वसीयतनुसार होना, मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना और वसीयत का क्रियान्वित होना बाबत बयान दर्ज करवाये है। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की पुष्टि होती है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(1) LRAct के तहत राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने ~~बाबत~~ वसीयतनुसार बाबत पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार (मु.) श्रीकरणपुर	

Scanned with OKEN Scanner